रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड ()
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 1975/फाल्गुन 29, 1896
No. 108] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 1975/PHALGUNA 29, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March 1975

S.O. 147(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Richardson and Crudda Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1972 (78 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Rules, 1947.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1972 (78 of 1972);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "section" means a section of the Act.

3. **Manner of calling upon persons to prefer claims.**—The Tribunal shall, in addition to publishing the notification under section 14, cause an advertisement to be published in one issue each of a daily newspaper in the English language and in the regional languages circulating in each of the States and the Union territories and in such of the commercial weeklies as may be fixed by the Tribunal calling upon every person who claims to have any interest in any share to prefer his claim within thirty days from the date of publication of the advertisement.

4. **Form of claim.**—Every claim preferred under sub-section (1) of section 14 shall be in Form I and shall be sent to the Tribunal by registered post acknowledgement due.

5. **Form of fresh certificates to be issued by the Custodian under section 21.**—The fresh share certificates to be issued by the Custodian under section 21 shall be in Form II or Form III, as the case may be.

FORM I

THE RICHARDSON AND CRUDDAS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) RULES, 1974.

Form of Claim petition

(*See* rule 4)

1. Name, father's/husband's name, address, occupation and other particulars of the claimant.

If the claim petition is filed by a person other than the shareholder—name, father's/husband's name and other particulars of the share holder and the name, address, occupation of the person filing the claim petition and the interest claimed by him in the shares.

2. (a) Class of share on which the claimant claims—interest—whether Preference or Equity.

(b) Nominal value of the shares included in the share scrip.

(c) Scrip number and distinctive number of shares included therein.

(d) Date of issue of the share scrip and the signature of Directors appearing on the same.

3. (a) The title of the holder to the shares included in the share scrip.

(b) Whether original allottee or whether acquired interest by transfer or transmission by operation of law.

(c) If acquired by transfer or transmission whether the same has been registered. If registered the date of such registration. If not registered whether holding under blank transfer or executed transfer deed. The date of allotment, transfer or transmission as the case may be to be given.

(d) If the interest is acquired by transfer—name of the transferer with date of transfer and also the name and address of the broker through whom purchase was made and the amount in consideration of which purchase was made together with relative Broker's bill of purchase.

(e) If the interest or right is acquired by succession or inheritance, whether Succession Certificate has been obtained. If so, a true copy of the same may be filed. If interest acquired under a Will, whether Probate of the Will or Letter of Administration with the copy of the Will annexed obtained from the Court. If so, a true copy of the same.

(f) If the shareholder is a Trust, the name of the Trustees.

4. Whether the claimant is the sole owner of the shares or owns the same jointly with others.

If the claimant is not the sole owner, the name, father's/husband's name, address and occupation of the persons jointly interested in the shares with the claimant.

5. Whether the claimant prefered any claim before the Special Officer, late Sir D. N. Mitra appointed by the High Court at Calcutta by order dated, 9th December, 1957, and confirmed by order, dated, 23rd April, 1958, in Matter No. 357 of 1957. If so, the date when the same was preferred. A copy of the claim petition thus preferred should be enclosed if available. The result of the investigation of the Special Officer—whether claim admitted or rejected by him. If claims rejected, whether objection lodged with the Special Officer or before the High Court at Calcutta at any stage. If so, a true copy of the same may be enclosed.

6. Any other particulars which the claimant considers relevant for the consideration of the Tribunal.

7. A true copy of the share scrip with any endorsements thereon, together with the copy of the share transfer deed, if any, certified by the claimant to be true

copy should accompany the claim petition. Original share scrips need not be sent, but the same would be called for during the hearing before the Tribunal.

STATION:

DATE:

Signature of the Claimant.

Verification

I———————————do hereby solemnly and sincerely state that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief

Signature of the Claimant.

FORM II

Scrip No..... shares

RICHARDSON AND CRUDDAS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) RULES, 1974.

(See Rule 5)

Nominal Value Rs.....

Form of preference Share Certificate

RICHARDSON AND CRUDDAS LIMITED

(REGISTERED UNDER THE INDIAN COMPANIES ACT, 1913)

(AUTHORISED CAPITAL RS. 3,00,00,/00)

Divided into 22,50,000 Equity Shares of Rs. 10 each and 75,000 7.15 per cent Income-tax-free Cumulative Preference Shares of Rs. 100 each.

This is to certify that.....is/are the registered holder of..... PREFERENCE shares of Rs. 100 each numbered.....to..... both inclusive in the Richardson and Cruddas Limited, subject to the provisions of the Company's Memorandum and Articles of Association upon which shares payment has been made in full.

This Share certificate is issued by the Custodian Under section 21 of the Richardson and Cruddas Ltd., (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1972 (78 of 1972) and is in lieu of Scrip No.....dated.....comprising the above mentioned shares issued on day of 19... which have been declared by the Tribunal constituted under the aforesaid Act as representing in reality a contribution to the capital of the Company.

Given under the Common Seal of the Company at Calcutta this.....day of.....19...

For and on behalf of Richardson and Cruddas Ltd.

Custodian.

Appointed under sub-section (1) of section 10 of the Richardson and Cruddas Ltd. (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1972 (78 of 1972).

N.B.—No transfer of the shares comprised hereinabove can be registered unless deposited at the Registered Office of the Company along with this Certificate.

RICARDSON AND CRUDDAS LTD.

Counter Foil

Scrip No.....

In the name of.....

Address.....

for.....Preference share numbered.....to.....

both inclusive.

Dated.....month.....19...

Signature of the Custodian.

TRANSFER EFFECTED BY SEPARATE DEED

No. of Transfer	Date of Registration	Transferee		Signature
		Name	Address	

FORM III

Scrip No. Shares

THE RICHARDSON AND CRUDDAS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) RULES, 1974.

(See rule 5)

Nominal Value Rs.....

Form of Equity Share Certificate

RICHARDSON AND CRUDDAS LIMITED

(REGISTERED UNDER THE INDIAN COMPANIES ACT, 1913)

(AUTHORISED CAPITAL RS. 3,00,00,000)

Divided into 22,50,000 Equity Shares of Rs. 10 each and 75,000 7.15 per cent Income-tax-free Cumulative Preference Shares of Rs. 100 each.

This is to certify that.....is/are the registered holder of..... EQUITY shares of Rs. 10 each numbered.....to.....both inclusive in the Richardson and Cruddas Limited, subject to the provisions of the Company's Memorandum and Articles of Association upon which Shares payment has been made in full.

This Share Certificate is issued by the Custodian under section 24 of the Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1972 (78 of 1972) and is in lieu of Scrip No.....dated.....Comprising the above mentioned shares issued on.....day of.....19... which have been declared by the Tribunal constituted under the aforesaid Act as representing in reality a contribution to the capital of the Company.

Given under the Common Seal of the Company at Calcutta this..... day of.....19....

For and on behalf of Richardson and Cruddas Ltd.

Custodian.

Appointed under sub-section (1) of section 10 of the Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1972 (78 of 1972).

N.B.—No transfer of the shares comprised herein above can be registered unless deposited at the Registered Office of the Company along with this Certificate.

RICHARDSON AND CRUDDAS LTD.

Counter Foil

Scrip No.....

In the name of.....

Address.....

for.....Equity shares numbered.....to.....

both inclusive.

Dated.....month.....19....

Signature of the Custodian.

TRANSFER EFFECTED BY SEPARATE DEED

No. of Transfer	Date of Registration	Transferee		Signature
		Name	Address	

[No. 8(34)/74-HM-III]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1975

सां० आ० 147 (अ).—केन्द्रीय सरकार रिचर्डसन एण्ड कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 78) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम रिचर्डसन और कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 78) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. **व्यक्तियों से दावे करने की अपेक्षा करने की रीति.**—अधिकरण, धारा 14 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित करने के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में परिचालित अंग्रेजी भाषा और प्रादेशिक भाषाओं के प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में और ऐसे वाणिज्यिक साप्ताहिकों जो कि अधिकरण द्वारा नियत किए जाएं, एक विज्ञापन प्रकाशित कराएगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी अंश में कोई हित होने का दावा करता है, से इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर दावा करने की अपेक्षा की जायगी ।

4. **दावे का प्ररूप.**—धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा प्ररूप 1 में होगा और अधिकरण को वह रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा ।

5. **अभिरक्षक द्वारा धारा 21 के अधीन जारी किए जाने वाले नए प्रमाणपत्रों का प्ररूप.**—अभिरक्षक द्वारा धारा 21 के अधीन जारी किए जाने वाले नए प्रमाणपत्र यथास्थिति, प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में होंगे ।

प्ररूप I

रिचर्डसन और क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1974 तथा पिटीशन का
प्ररूप (नियम 4 देखिए)

1. दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, पता, उपजीविका और अन्य विशिष्टियां ।

यदि दावा-पिटीशन अंशधारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई हो तो अंशधारी का नाम, पिता/पति का नाम और अन्य विशिष्टियां और दावा-पिटीशन दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, उपजीविका और उसके द्वारा अंशों में दावाकृत हित ।

2. (क) उस अंश का प्रवर्ग जिस पर दावेदार, अधिमानी या साधारण हित का दावा करता है ।

(ख) अंश पर्णक में सम्मिलित अंशों का नामीय मूल्य ।

(ग) पर्णक संख्या और उसमें सम्मिलित अंशों की सुभिन्न संख्या ।

(घ) अंश पर्णक जारी किए जाने की तारीख और उस पर निदेशकों के हस्ताक्षर ।

3. (क) अंश पर्णक में सम्मिलित अंशों के धारक का हक ।

(ख) क्या वह मूल आवंटिती है या अन्तरण या विधि की क्रिया से पारेषण द्वारा हित अर्जित किया गया है ।

(ग) यदि वह अन्तरण या पारेषण द्वारा अर्जित किया गया है, तो क्या वह रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यदि उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख । यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है तो निरंक अंतरण के अधीन धारण करता है या अन्तरण विलेख निष्पादित किया गया है, यथास्थिति, आवंटन, अंतरण या पारेषण की तारीख दी जाए ।

(घ) यदि हित अन्तरण द्वारा अर्जित किया गया हो—अन्तरक का नाम, अन्तरण की तारीख और उस दलाल का भी नाम और पता तथा प्रतिफल की वह रकम जिससे क्रय किया गया है और साथ में सुसंगत दलाल का क्रय बिल ।

(ङ) यदि हित या हक का अर्जन, उत्तराधिकार या विरासत से किया गया है, तो क्या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया गया है । यदि हां, तो उसकी सत्य प्रतिलिपि दाखिल की जाए । यदि हित किसी बिल के अधीन अर्जित किया गया है तो न्यायालय से बिल का प्रोबेट या प्रशासनपत्र, संलग्न बिल की प्रति सहित, अभिप्राप्त कर लिया गया है । यदि हां तो उसकी सत्य प्रतिलिपि ।

(च) यदि अंशधारी कोई न्यास है तो न्यासियों के नाम ।

4. क्या दावेदार अंशो का एकमात्र स्वामी है या अन्यों के साथ उसका संयुक्ततः स्वामी है?

यदि दावेदार एकमात्र स्वामी नहीं है तो दावेदार के साथ उन अंशों में संयुक्ततः हितबद्ध व्यक्तियोंके नाम, पिता/पति के नाम, पता और उपजीविका ।

5. क्या दावेदार ने, उच्च न्यायालय कलकत्ता के मामले सं० 1957 का 357 में के आदेश, तारीख 9–12–57 द्वारा नियुक्त, और आदेश तारीख 23–4–58 द्वारा पुष्ट, विशेष अधिकारी, स्वर्गीय सर डी० एन० मित्र के समक्ष कोई दावा किया था । यदि हां तो वह तारीख जब वह किया गया था । इस प्रकार किए गए दावा-पिटीशन की एक प्रति, यदि उपलभ्य हो, संलग्न की जाए । विशेष अधिकारी के अन्वेषण का परिणाम–क्या दावा माना गया है या नामंजूर किया गया है । यदि दावे

नामंजूर किए गए हैं तो क्या किसी प्रक्रम पर विशेष अधिकारी या कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेप किया गया है, यदि हां, तो उसकी एक सत्य प्रतिलिपि संलग्न न की जाए ।

6. अन्य विशिष्टियां जिन्हें दावेदार अधिकरण के विचारणार्थ सुसंगत समझे ।

7. अंश पर्णक की एक सत्य प्रतिलिपि, उस पर पृष्ठांकन और अंश अन्तरण विलेख, यदि कोई हो, की प्रतिलिपि सहित, जो कि दावेदार द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, दावा-पिटीशन के साथ जानी चाहिए । मूल अंश पर्णक भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अधिकरण के समक्ष सुनवाई के दौरान वे मंगवाए जा सकेंगे ।

दावेदार के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

सत्यापन

मैं.....सत्यनिष्ठापूर्वक और सद्भावपूर्वक यह कथन करता हूं कि जो कुछ ऊपर कथित किया गया है, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

दावेदार के हस्ताक्षर

प्ररूप II

सं०..... अंश

रू०.....नामीय मूल्य

रिचर्डसन ओरा कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1974

(नियम 5 देखिए)

रिचर्डसन और कूडास लिमिटेड अधिमान अंश प्रमाणपत्र का प्ररूप

(भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन रजिस्ट्रीकृत)

(अधिकृत पूंजी 3,00,00,000 रु०)

जो 10 रुपए के 22,50,000 साधारण अंशों और 7.15 प्रतिशत आय-कर-मुक्त 100 रुपए के 75,000 आकलित अधिमान अंशों में विभक्त की गई है

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....(नाम), संख्या.....से तक, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, 100 रुपए के अधिमान अंशों के, रिचर्डसन

और कूडास लिमिटड में, कम्पनी के ज्ञापन और संगम के अनुच्छेदों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत धारक हैं और अंशों का संदाय पूर्णरूप से किया जा चुका है ।

यह अंश प्रमाणपत्र अभिरक्षक द्वारा, रिचर्डसन एण्ड कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 78) की धारा 21 के अधीन जारी किया गया है और जो पर्णक सं०.....तारीख.....के बदले में हैं, जिसमें 19.....के.....के दिन जारी किए गए ऊपर वर्णित वे अंश समाविष्ट हैं, जिनको पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण द्वारा वास्तव में कम्पनी की पूंजी में अभिदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला घोषित किया गया है ।

19.....के.....के.....दिन कलकत्ता में, कम्पनी की सामान्य मुद्रा के अधीन दिया गया ।

रिचर्डसन और कूडास लिमिटेड की ओर से और के लिए

अभिरक्षक

रिचर्डसन और कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और उपक्रम) अधिनियम, 1972 (1972 का 78) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त

विशेष टिप्पण.—ऊपर समाविष्ट अंशों का कोई अन्तरण तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में, इस प्रमाणपत्र के साथ जमा न करवा दिया जाए ।

रिचर्डसन एण्ड कूडास लिमिटेड

प्रतिवर्ण

पर्णक सं०.....

..... के नाम में

पता.....

.....अधिमान शेयरों के लिए

संख्या.....से.....तक, दोनों सम्मिलित हैं

19. के.....पास की तारीख

.....

अभिरक्षक के हस्ताक्षर

पृथक विलेख द्वारा किया गया अन्तरण

अंतरण की संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	अन्तरिती (नाम पता)	हस्ताक्षर

परूप III

पर्णक सं०..... शेयर

रिचर्डसन एन्ड क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1974

(नियम 5 देखिए)

रु०.....नामीय मूल्य

रिचर्डसन और क्रूडास लिमिटेड के साधारण शेयर प्रमाण-पत्र का प्ररूप

(भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन रजिस्ट्रीकृत)

(अधिकृत पूंजी 3,00,000 रु०)

जो 10 रुपये के 22,50,000 साधारण अंशों और 7.15 प्रतिशत आयकर-मुक्त 100 रुपये के 75,000 आकलित अधिमान अंशों में विभक्त की गई है। यह प्रमाणित किया जाता है कि.....(नाम) संख्या.....से.....तक, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, 10 रुपए के साधारण अंशों के रिचर्डसन और क्रूडास लिमिटेड में कम्पनी के ज्ञापन और अनुच्छेदों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत धारक है और अंशों का संदाय पूर्णरूप से किया जा चुका है ।

यह अंश प्रमाणपत्र अभिरक्षक द्वारा रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 78) की धारा 21 के अधीन जारी किया गया है और यह पर्णक सं०.....तारीख.....के बदले में है जिसमें 19.....के के.....दिन जारी किए गए ऊपरवर्णित वे अंश समाविष्ट हैं, जिनको पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण द्वारा वास्तव में कम्पनी की पूंजी में अभिदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला घोषित किया गया है ।

19.....के.....के.....दिन कलकत्ता में, कम्पनी की सामान्य मुद्रा के अधीन दिया गया ।

रिचर्डसन और क्रूडास लिमिटेड की ओर से
और के लिए

अभिरक्षक

रिचर्डसन और क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 78) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त

विशेष टिप्पण.—ऊपर समाविष्ट अंशों का कोई अन्तरण तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में, इस प्रमाणपत्र के साथ जमा न करवा दिया जाए ।

रिचर्डसन एन्ड क्रूडास लिमिटेड

प्रतिपर्ण

पर्णक सं०.....

.....के नाम से

पता

.....साधारण शेयरों के लिए

संख्या.....से..... तक, दोनों सम्मिलित हैं

19.....के.....मास की.....तारीख

.....

अभिरक्षक के हस्ताक्षर

पृथक विलेख द्वारा किया गया अन्तरण

अंतरण की संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	अन्तरिती		हस्ताक्षर
		नाम	पता	

[सं० 8(34)/74-एच एम-III]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975